न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकंत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 371/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुखराम पुत्र हीराराम विश्नोई निवासी केरलानाडा, तहसील लोहावट जिला फलौदी (समस्त जातियान राजपूत निवासीगण भालू लक्ष्मणगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलौदी 2. सुगनी पत्नी गोविन्दराम 3. सुभाषचन्द्र पुत्र गोविन्दराम (जाति विश्नोई निवासी केरलानाडा तहसील लोहावट जिला फलौदी)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश कमांक 159 दिनांक 20.3.23

उपस्थिति –
1. श्री घेवरराम विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 की ओर से
3. श्री पूनाराम विश्नोई, रेस्पो0 सं0 2 व 3

निर्णय

दिनांक 26/03/2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 के द्वारा तहसीलदार लोहावट के पत्र कमांक 96 दिनांक 27.02.2023 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम केरलानाडा के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के खसरा नम्बर 434 की भूमि में से 0.5180 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने खेत में से रास्ते के लिए जो सहमति दी गई थी, उसके अलावा अन्य खसरा नम्बर 142, 441 के खातेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए आदेश एवं सहमति

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

टकर अलग से रास्ता निकाल दिया गया। जिससे अपीलांट का खेत कई टुकडों में बंट ा। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाने का आग्रह गया।

रेस्पो0 सं0 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सार्वजनिक कदीमी रास्ते का आदेश पारित किया गया है, वहां मौके पर वर्षो से रास्ता चल रहा है। सहमति पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर है तथा स्वयं अपीलांट के खसरा नं0 434 में आने जाने के लिए रेस्पो0 के खसरा नं0 435 में से रास्ता दिया गया है। उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः उक्त अपील मेन्टेनेबल नही है।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही खातेदारानन के आवेदन व उनकी सहमति के आधार पर तहसीलदार लोहावट से प्रस्ताव प्राप्त कर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 को अपीलांट के ख0नं0 434 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

26/03/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर